न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
54 / 2020	30 / 09 / 2020	03.12.2025

1. चम्पाराम पुत्र सुवालाल जाति गूर्जर
2. रामनारायण पुत्र सुवालाल जाति गूर्जर मृतक जरिये कायम मुकामान

2/1. सत्यप्रकाश पुत्र रामनारायण गूर्जर

2/2 विजयसिंह पुत्र रामनारायण गूर्जर जातियान गूर्जर निवासीगण ठीकरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री श्याम बैरवा एड0।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके माल ठीकरदा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की मुताबिक जमाबन्दी सवंत 2036–39 की साबिक ख.नं. 51 की रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि रघुराजसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी ठीकरदा के खाते दर्ज रिकॉर्ड हैं, जिस पर रघुराजसिंह काबिज काश्त चला आ रहा था रघुराजसिंह ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 25 / 12 / 1987 को साबिक ख.नं. 51 की रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा कृषि आराजी को वादीगण चम्पाराम पुत्र सुवालाल व रामनारायण पुत्र सुवालाल जातियान गूर्जर निवासीगण ठीकरदा तह० पीपल्दा जिला कोटा को स्टाम्प कीमती 5/– रू. पर समक्ष गवाहान कीमतन 6700/– रू. अक्षरे छः हजार सात सौ रू. में बैचान कर कब्जा वादीगण 1 व 2 को संभलाया गया तब से ही उक्त वर्णित आराजी साबिक ख.नं. 51 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी वादी कम 1 चम्पाराम व वादी कम 2 रामनारायण के कायम मुकामान वादीगण 2/1 सत्यप्रकाश 2/2 विजयसिंह बराबर बराबर हिस्से पर काबिज काश्त है। कालान्तर में रघुराजसिंह पुत्र अर्जुनसिंह राजपूत सा० ठीकरदा लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसका कोई भी विधिक वारिसान मौजूद नहीं है। उक्त वर्णित रघुराजसिंह द्वारा बैचान की गई कृषि आराजी ख. नं. 51 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा के सेटलमेंट द्वारा नवीन ख.नं. 68 रकबा 1.25 हैक्टर कायम किया गया है। अब वादीगण साबिक ख. नं. की कृषि आराजी के नवीन ख.नं. 68/1 रकबा 1.13 हेक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे है। कालान्तर में राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी कार्यवाही के ख.न. 68/1 रकबा 1.13 हैक्०, कृषि आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर दिया हैं जिसका राजस्व विभाग को किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि बिना किसी विधिक कार्यवाही के तथा कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही वर्णित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया जावे। वादी कम 2 क्रेता रामनारायण पुत्र सुवालाल गूर्जर दिनांक 20.1.2020 को फोत हो जाने के कारण अब उक्त वर्णित आराजी ख.नं. 68/1 रकबा 1.13 हेक० के हिस्से 1/2 पर वादीगण 2/1 सत्यप्रकाश, 2/2 विजयसिंह काबिज काश्त हैं, तथा 1/2 हिस्से पर वादी कम 1 चम्पाराम काबिज काश्त हैं। वादीगण उक्त वर्णित आराजी के बैचान दिनांक 25.12.1987 से ही लगातार वर्तमान तक निर्बाध रूप से अनवरत शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। कालान्तर में वर्णित आराजी खसरा नं. 68/1 रकबा 1.13 हैक्टर के सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा वादीगण के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही कर दी गई हैं। जिसके तहत वादीगण जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाते चले आ रहे

हैं। इस प्रकार वादीगण का उक्त वर्णित आराजी पर 40 वर्षों से अधिक का एडवर्स पजेशन हो गया है। तथा उक्त वर्णित आराजी वादीगण द्वारा मृतक रघुराजसिंह से दिनांक 25.12.1987 को कय की गई हैं। इसलिए वादीगण उक्त वर्णित आराजी ख.न 68/1 रकबा 1.13 हैक्टर पर खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। मृतक खातेदार रघुराजसिंह के अचानक फोत हो जाने के बाद से ही व उसके कोई भी सुलभी औलाद नही होने के कारण तथा वर्णित आराजी वर्तमान में सिवायचक होने के कारण वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी से वादीगण का नाम दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय में दावा करने की हिदायत देकर मना कर दिया गया । वादीगण द्वारा अंतिम बार दिनांक 10.09.2020 को उक्त भूमि को खाते में दर्ज करने का निवेदन किया और प्रतिवादी द्वारा मना करने पर वाद कारण दिनांक 10.09.2020 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिकी पारित की जावे कि ग्राम ठीकरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की ख. नं. 68/1 रकबा 1.13 हैक्टर पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खाता सरकार सिवायचक को दुरस्त किया जाकर वादी चम्पाराम पुत्र सुवालाल जाति गूजर निवासी ठीकरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० को 1/2 हिस्से का तथा वादीगण सत्यप्रकाश, विजयसिंह पुत्रान रामनारायण जातियान गूर्जर निवासीगण ठीकरदा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज0 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पालना बाबत तहसीलदार पीपल्दा को आदेश किया जावे। प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम ठीकरदा की खसरा नं. 68/1 रकबा 1.13 हेक्टर पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत, व्यवधान ना तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये।

वादी की ओर से वाद श्री श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त है जो अग्रलिखित है। ग्राम ठीकरदा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ख.नं. 68/1 रकबा 1.13 है० किस्म माल प्रथम सिवायचक खाता सरकार दर्ज खाता है। वादीगण द्वारा ख.नं. 68/1 रकबा 1.13 है० के संबंध में ही वाद दर्ज करवाया गया है। ख.नं. 68/1 रकबा 1.13 है० का मूल ख.सं. 68/1.25 था जिसका साबिक ख. नं. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ख.सं. 51 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा है, जो कि तत्समय खातेदार रघुराजसिंह वल्द अर्जुनसिंह कौम राजपूत सा.देह के खाते दर्ज खाता था। रघुराज सिंह पुत्र अर्जुनसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है. परन्तु किसी विधिक वारिस द्वारा नामान्तरण दर्ज करवाने बाबत् आवेदन नहीं करने के कारण नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ। बन्दोबस्त में पूर्व ख.नं. 51 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा रघुराजसिंह वल्द अर्जुनसिंह के नाम दर्ज खाता था, जिसका सेटलमेंट पश्चात् नवीन ख.नं. 68 रकबा 1.25 हिं० कायम किया गया। वादीगण ख.नं. 68/1 रकबा 1.13 है० पर बतौर अतिकमी काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख.नं. 68/1 रकबा 1.13 है० खाता सरकार दर्ज खाता है। रामनारायण पुत्र सुवालाल जाति गुर्जर फौत हो चुका है तथा नामा, सं. 379 में वारिसान दर्ज किये जा चुके है। वादीगण ख.नं. 68/1 रकबा 1.13 है० पर बतौर अतिकमी काबिज चले आ रहे है। साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1, पी0डब्ल्यू0 2, पी0डब्ल्यू0 3 पेश किए। वादी ने वाद के समर्थन में ग्राम ठीकरदा संवत 2026–39 ख0नं0 51 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा प्रदर्श पी–1, इकरार नामा बेचान दिनांक 25.12.1987 प्रदर्श पी–2, नकल जमाबन्दी ग्राम ठीकरदा संवत 2041–60 ख0नं0 68 प्रदर्श पी–3, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम ठीकरदा ख0नं0 68 प्रदर्श पी–4, नकल जमाबन्दी संवत 2076–79 ग्राम ठीकरदा ख0नं0 68/1 प्रदर्श पी–5, मृत्यु प्रमाण पत्र रामनारायण प्रदर्श पी–6, रसीद जुर्माना कमांक 00015,09,046 प्रदर्श पी–7, नोटिस धारा 91 एलआरएक्ट ख0नं0 68/1 प्रदर्श पी–8 पेश किए। जवाब सरकार दिनांक 413/2020 में भी वाद के कथन को दोहराया गया है कि ग्राम ठीकरदा में ख0नं0 68/1

रकबा 1.13है0 माना प्रथम (वर्तमान से सिवायचक) का सेटलमेंट पूर्व ख0नं0 51 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा का जो तत्समय खातेदार रघुराज सिंह वल्द अर्जुनसिंह कोम राजपूत सा0 देह के नाम खाते दर्ज था। रघुराज सिंह लाऔलाद फोत हो चुका है। जिसका किसी विधीक वारिस द्वारा नामान्तरण दर्ज करने का आवेदन नहीं करने के कारण नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ। राजस्व रिकार्ड में अनुसार ख0नं0 68/1 रकबा 1.13हे0 खाता सरकार दर्ज है। उक्त भूमि पर वादीगण अतिक्रमी काबिज चले आ रहे है। शपथ पत्र साक्ष्यवादी पी0डब्ल्यू0 1 चम्पाराम, पी0डब्ल्यू0 2 सत्यप्रकाश, पी0डब्ल्यू0 3 हंसराज, 5 रु के स्टाम्प पेपर पर रघुराज सिंह पुत्र अर्जुनसिंह राजपूत द्वारा नि0 ठीकरदा द्वारा इकरारनामा बेचान अनरजिस्टर्ड दिनांक 25.12.1987, धारा 91 के नोटिस प्रदर्श पी–8 का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन किया एवं बहस में बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार करने पर पाया कि अनरजिस्टर्ड स्टाम्प पर खरीद की है वादी एवं वादीगण के पिता ने उक्त आराजी 5 रु के अनरजिस्टर्ड क्रय के आधार पर खातेदारी स्वत्व प्रदान नहीं किए जा सकते है एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा